

आदिम जाति विद्या विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
अस्वच्छ धंधों में लगे परिवार के लोगों के विद्यार्थियों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये

आवेदनपत्र

(प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूलों के लिये)

1. विद्यार्थी का पूरा नाम
2. जाति उप-जाति धर्म (प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में)
3. शिक्षण संस्था का नाम
4. कक्षा वर्ग
5. शिक्षण संस्था में चालू वर्ष में प्रवेश की तिथि
6. गत वार्षिक परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)
7. विद्यार्थी के पिता/पालक का नाम
8. पता-स्थान तहसील जिला
9. माता/पिता या पालक का व्यवसाय
10. विद्यार्थी यदि किसी शासकीय या शासन द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास में रहता है, तो उसका नाम
11. क्या विद्यार्थी को अनुक्रमांक 9 के अनुसार उक्त छात्रावास में शिष्यवृत्ति मिलती है
12. पिछली शाला का नाम जहां से स्थानांतरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है
13. विगत वर्षों में प्राप्त छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्रारंभ से अंत तक निम्नानुसार है :-

अनुक्रमांक	वर्ष	कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त की	शाला का नाम जहां अध्ययन किया	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान

दिनांक

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

[कृ. प. उ.

पिता का घोषणा पत्र

एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे कुल पुत्र/पुत्री हैं, जो कि निम्नांकित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत है :-

नाम पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि	संस्था का नाम जहां पुत्र/पुत्री अध्ययनरत है
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

हस्ताक्षर पिता

मेरी जानकारी तथा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर विद्यार्थी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है. मैं विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए सिफारिश करता/करती हूँ.

स्थान

दिनांक

शासकीय संस्थाओं के कक्षा शिक्षक, अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों की मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु
अस्वच्छ धंधा प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी ग्राम तहसील जिला के मूल निवासी हैं. इनकी

जाति एवं धर्म है. ये पारिवारिक ढंग से शुष्क शौचालयों की मैला सफाई/मरे जानवर का

चमड़ा निकालने/छीलने/पकाने के अस्वच्छ धंधे में लगे हैं.

प्रमाणपत्र जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

टीप :- उक्त प्रमाणपत्र निम्नांकित अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जारी होने चाहिये.

(प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे)

प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारी :-

1. जिलाध्यक्ष, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार.
2. उपायुक्त, आदिवासी विकास/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, आदिमजाति, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र संयोजक, आदिमजाति कल्याण/मण्डल संयोजक, आदिमजाति कल्याण.
3. सेवारत कर्मचारी के लिये प्रमाणपत्र :- नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा.